कोयला का उत्पादन

1208. **श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया:**
श्री बरजिन्दर सिंह:

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) **क्या** यह सच है कि वर्ष 1997-98 के दौरान देश में कोयले के उत्पादन में गत वर्ष की तुलना में 4% की वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो कुल उत्पादन की मात्रा क्या है;

(ग) मार्च, 1997 के अंत में कोयला खदानों के मुहानों पर पड़े कोयले की मात्रा क्या थी; और

(घ) अप्रैल, 1998 के प्रारंभ में कोयला खदानों के मुहानों पर पड़ी कोयले की मात्रा कितनी थी और यह मात्रा पूरे वर्ष बिक्री किए गए कोयले की मात्रा का कितने प्रतिशत है?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय): (क) और (ख) 1996-97 और 1997-98 के दौरान देश में हुए कोयले के उत्पादन का ब्यौरा दिया गया है:—

(मिलियन टन में)

1996-97	1997-98 (अनंतिम)	प्रतिशत वृद्धि
285.63	295.93	3.6

(ग) और (घ) मार्च, 1997 के अंत में और अप्रैल, 1998 के शुरू में पिटहैड पर कोयला स्टाकों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:—

(मिलियन टन में)

मार्च, 1997 के अंत में	अप्रैल, 1998 (अनंतिम) के शुरू में
28.94	29.19

1.4.1998 की स्थिति के अनुसार पिटहैड स्टाक (अखिल भारतीय) 29.19 मिलियन टन (अनंतिम) है, जोकि 1997-98 के दौरान हुए 292.63 मिलियन टन कोयले के कुल अनंतिम प्रेषण का 9.97% है।

कोयला खनन में निजी क्षेत्र की भागीदारी

1209. **श्री बलवन्त सिंह रामूवालिया:**
श्री बरजिन्दर सिंह:

क्या **कोयला** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 2.4.1998 के दौरान "इकॉनामिक टाइम्स" में "गवर्नमेंट अगेन्स्ट एन्टरी ऑफ प्राइवेट प्लेयर्स" शीर्षक के प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि सरकार ने व्यावसायिक आधार पर कोयले के खनन और उसकी बिक्री कार्य में निजी क्षेत्र की भागीदारी न किए जाने के संबंध में कोई निर्णय लिया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और इस प्रकार का निर्णय करने के क्या कारण हैं?

कोयला मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दिलीप राय): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) नौवीं और दसवीं योजना अवधि में कोयले के उत्पादन और मांग के बीच के अंतराल के बारे में एकीकृत कोयला नीति से संबंधित समिति द्वारा किए गए प्रक्षेपणों को दृष्टिगत करते हुए 1997 में सरकार द्वारा कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1973 में संशोधन करने का निर्णय लिया गया ताकि भारतीय कंपनियां ग्रहीत उपभोग के विद्यमान प्रतिबंध के बिना कोयले का उत्खनन कर सकें। इस निर्णय के अनुसरण में कोयला खान (राष्ट्रीयकरण) संशोधन बिल 1997 का प्रारूप तैयार किया गया तथा इसकी विधि मंत्रालय द्वारा विधीक्षा की गई। किन्तु पांच केन्द्रीय मजदूर संघ नामतः इन्टक, आईटक, एच एम एस, सीटू और बी एम एस द्वारा संसद में इस बिल को प्रस्तुत करने का विरोध किया गया। जहां मजदूर संघों ने यह स्वीकार किया कि कोयले की मांग और उत्पादन के बीच अंतराल हो सकता है, वहीं उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि पर्याप्त बजटीय सहायता प्रदान करके राष्ट्रीय कोयला कंपनियों का उत्पादन बढ़ाकर इस अंतराल को कम किया जा सकता है। मजदूर संघों के इस विचार पर भी विस्तार से चर्चा हुई तथा उन्हें यह स्पष्ट बता दिया गया कि उक्त अन्तराल को कोयला खानों में बढ़ी हुई उत्पादकता से समाप्त नहीं किया जा सकता और सरकार उनके द्वारा प्रस्तावित बजटीय सहायता प्रदान करने की स्थिति में नहीं है। इस संबंध में योजना आयोग के साथ परामर्श करके मांग तथा आपूर्ति की विस्तृत समीक्षा करने के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा।